न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 7/2023 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. रामकिशोर पुत्र सोमोत्या
2. कमलेश पुत्र सोमोत्या

जाति मीना निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सोमोत्या पुत्र नंदलाल जाति मीना निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. संपत्ति पत्नि सांवलराम जाति मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर
3. कंचन पुत्र धन्ना
4. कजोड पुत्र रामपाल
5. कालूराम पुत्र धन्ना
6. किशनलाल पुत्र भवान्या
7. छोटा देवी पत्नि प्रभात
8. नानगी देवी पत्नि प्रभात
9. प्रेम पत्नि धन्ना
10. रमेश पुत्र धन्ना
11. रामबाई पुत्री भगवान्या
12. रामविलास पुत्र भगवान्या
13. सुखबाई पुत्री भगवान्या
14. सुरजन पुत्र भगवान्या
15. सीताराम पुत्र भगवान्या

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान
17. उप पंजीयक नांगल राजावतान
18. बैंक ऑफ बडौदा शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
19. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नांगल राजावतान जरिये शाखा प्रबंधक
20. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छारेडा तहसील नांगल राजावतान जरिये शाखा प्रबंधक
21. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबंधक
22. श्री रामावतार मीना उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान पीठासीन अधिकारी श्री रामावतार मीना, [illegible] उनवानी रामकिशोर आदि बनाम सोमोत्या आदि दावा मु.नं. 35/2022 व आदेश नं. 31/2022

उपस्थितिः— 1. श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2
2. राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:10 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

दिनांक: 09.06.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामकिशोर आदि बनाम सोमोत्या आदि का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान में विचाराधीन है। उक्त वाद को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

जिला कलेक्टर,दौसा

....निरन्तर 2 पर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से स्थानान्तरण प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को ही बहस मानी गई। स्थानान्तरण प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार उनवानी वाद बाबत अधिषोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण वादीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से 21 के विरूद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 165 से 177 कुल किता 13 रकबा 4.92है. का विचाराधीन है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 18.1.2023 नियत है। उक्त वाद पेश होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश किया, जिसका प्रार्थीगण की ओर से जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी ने उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 18.1.2023 नियत फरमा दी व प्रार्थीगण का जवाब नहीं लिया। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है क्योंकि प्रतिवादी अप्रार्थी सं0 2 व उसका पति गावं में एलानिया कह रहे है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से साठ गॉठ हो गई है तथा उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी आगामी तारीख पेशी पर आदेश 7 नियम 11 में खाारिज फरमा देंगे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशियां दी जा रही है तथा प्रार्थीगण के वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पीठासीन अधिकारी ने खारिज करने की सरे इजलास धमकी दी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अप्राथी सं0 2 व उसके पति को अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे हुए देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आनन फानन में प्रतिवादीगण से भारी रकम लेकर उक्त प्रकरण को खारिज करने पर आमादा है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद उनवानी रामकिशोर आदि बनाम सोमोत्या आदि दावा मुकदमा नंबर 35/2022 व प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं0 31/2022 को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की बहस में दलील है कि अप्रार्थी सं0 1 सोमोत्या के द्वारा ग्राम मोहनपुरा स्थित आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 07.01.2016 को किया जा चुका है। साथ ही न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा भूमि का तकास्मा भी दिनांक 3.8.2022 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अनावश्यक विलंब कर बहस नहीं करना चाहते है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार एवं असत्य है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में देरीना करने की गर्ज से यह स्थानान्तरण प्रा.पत्र पेश किया गया है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बिना किसी सबूत के तथ्यहीन एवं निराधार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान की टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान में प्रतिवादी सं0 2 सम्पत्ति देवी ने एक वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का व प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2023 नियत है। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वाद पत्र में प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर रखा है। स्थानान्तरण प्रा.पत्र में अंकित तथ्य मनगढन्त

....निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

एवं तथ्यों से परे व असत्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं करके प्रकरण में देरीना करने की गर्ज से यह सिनाान्तरण याचिका प्रस्तुत की गई है। विचाराधीन वाद को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने में विलंब करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में बहस नहीं करके प्रकरण में देरीना करने की गरज से यह स्थानान्तरण याचिका पेश की जानी बताई गई है। प्रार्थीगण की याचना है कि पीठासीन अधिकारी से उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा स्थानान्तरण प्र0पत्र अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई ठोस वजह नहीं पाई जाने को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान मे विचाराधीन वाद वाद उनवानी रामकिशोर आदि बनाम सोमोत्या आदि दावा मुकदमा नंबर 35/2022 व प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं0 31/2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 जून 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:10 IST
Reason: SelfAttested